भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय
मांग संख्या 45
सरकारी उद्यम विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	17.35	...	17.35	20.42	...	20.42	18.04	...	18.04	19.38	...	19.38
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**17.35**	**...**	**17.35**	**20.42**	**...**	**20.42**	**18.04**	**...**	**18.04**	**19.38**	**...**	**19.38**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	9.32	...	9.32	10.42	...	10.42	10.80	...	10.80	11.38	...	11.38
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
2. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना	2.83	...	2.83	3.20	...	3.20	2.32	...	2.32	3.00	...	3.00
3. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईज़) और राज्य स्तरीय उद्यमों (एसएलपीज़) से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी)	2.19	...	2.19	6.80	...	6.80	4.92	...	4.92	5.00	...	5.00
4. अंतर्राष्ट्रीय उद्योग संवर्धन केंद्र को योगदान	1.54	...	1.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. राज्य स्तरीय के लोक उद्यमों (एसएलपीज़) के कार्यपालकों के लिए कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.47	...	1.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**8.03**	**...**	**8.03**	**10.00**	**...**	**10.00**	**7.24**	**...**	**7.24**	**8.00**	**...**	**8.00**
कुल जोड़	*17.35*	*...*	*17.35*	*20.42*	*...*	*20.42*	*18.04*	*...*	*18.04*	*19.38*	*...*	*19.38*
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	8.03	...	8.03	9.15	...	9.15	6.57	...	6.57	7.30	...	7.30
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	9.32	...	9.32	10.27	...	10.27	10.75	...	10.75	11.28	...	11.28
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**17.35**	**...**	**17.35**	**19.42**	**...**	**19.42**	**17.32**	**...**	**17.32**	**18.58**	**...**	**18.58**
अन्य												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1.00	...	1.00	0.72	...	0.72	0.80	...	0.80
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1.00**	**...**	**1.00**	**0.72**	**...**	**0.72**	**0.80**	**...**	**0.80**
कुल जोड़	**17.35**	**...**	**17.35**	**20.42**	**...**	**20.42**	**18.04**	**...**	**18.04**	**19.38**	**...**	**19.38**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसके अंतर्गत इस विभाग के सचिवालयी व्यय, सरकारी क्षेत्र के महारत्नय, नवरत्नण और मिनीरत्नर उद्यमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन हेतु सर्च समिति के संबंध में निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रशिक्षण, हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति के साथ-साथ सॉफ्टवेयर के विकास एवं रखरखाव तथा कार्यालय परिसर के आधुनिकीकरण सहित सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी निधि का प्रावधान किया जाता है।

2. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना:** केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों/वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास फंड्स (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रशिक्षण देने वालों को सहायता अनुदान के रूप में फंड प्रदान किया जाता है। इस स्कीम की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए भी फंड का उपयोग किया जाता है। सी. आर. आर. स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं के भुगतान के लिए किया जाता है।

3. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईज़) और राज्य स्तरीय उद्यमों (एसएलपीज़) से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी):** निधि का उपयोग (i) सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने,(ii) कौशल विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य उद्यमों के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों तथा लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने,(iii) गैर सरकारी निदेशकों पर विशेष बल के साथ सीपीएसईज़ के बोर्डों में शामिल निदेशकों को विभिन्न कॉर्पोरेट शासन मुद्दों पर प्रशिक्षण देने,(iv) समझौता ज्ञापन से संबंधित कार्यकलापों की प्रशासनिक एवं संभार तंत्र व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यय, (v) अंतर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यमों संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करने,(vi) आरडीसी स्कीम से जुड़े परामर्शदाताओं/प्रोग्रामरों आदि के भुगतान के लिए किया जाता है, और (vii) सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन ।